न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–671 सन् 2014

विकास कुमार गुप्ता व अन्य.....वादीगण

बनाम

मनोज पाण्डेय व अनय.....प्रतिवादीगण

दिनांक– 01.11.2021

उभय पक्ष अनुपस्थित है। उचित पैरवी करें। आज अभिलेख वादीगण की ओर से दाखिल रिकॉल आवेदन दिनांक 16.01.2020 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादीगण का आवेदन में कथन है कि इस वाद में वादीगण का साक्ष्य चल रहा है। वादीगण ने अपने वाद में एक साक्षी का साक्ष्य कराया जिसका प्रति परीक्षण प्रतिवादोगण की ओर से नहीं किया गया ह और वह साक्षी उन्मोचित कर दिया गया। प्रतिवादी ने वादीगण के साक्षी को प्रति परीक्षण वास्ते रिकॉल कराया परंतु मुक्त साक्षी प्रतिवादी के मेल में आ जाने के कारण वह प्रति परीक्षण के लिए न्यायालय नहीं आये ह और अंततः वह साक्षी को वादीगण ने एक्सपंज करा लिया है। दिनांक 19.12.2019 को वादीगण का साक्ष्य बंद कर दिया गया है। जिससे वादीगण को अपूर्णिय क्षति हैं, क्योंकि इस वाद में स्वयं वादी का भी साक्ष्य नहीं हुआ है। इसलिए न्यायहित में आवश्यक है कि आदेश दिनांक 19.12.2019 को रिकॉल किया जाए। ताकि वादीगण को न्याय मिल सके।

प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 05.12.2020 को उपर्युक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल किया गया जिसमें उनका

कथन है कि वादी की ओर से बिल्कुल गलत बनावटी बयान के साथ तथ्यहीन आवेदन दिया गया है। वादीगण की ओर से लगभग 2 वर्ष से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाने पर और बराबर समय लेकर वाद को लंबा खिंचने और तंक वो परेशान करने की नियत से आवेदन दाखिल किया है। वादीगण की ओर से केवल समय लेने के कारण न्यायालय द्वारा उनका साक्ष्य बंद कर दिया गया है। ऐसी परिस्थिति मं वादीगण की ओर से दाखिल रिकॉल आवेदन को खारिज कर दिया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि वादीगण को दिनांक 01.11.2018 से दिनांक 19.12.2019 तक साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु कोई अवसर प्रदान किया गया। परंतु वादी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुतिकरण हेतु कोई कदम नहीं उठाया गया। फलस्वरूप न्यायालय के द्वारा दिनांक 19.12.2019 को वादीगण की ओर से साक्ष्य का अवसर समाप्त करते हुए उनका साक्ष्य बंद कर दिया गया है। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि वादी की ओर से इस वाद में एक भी साक्षी का साक्ष्य पूर्ण नहीं कराया जा सका है। अतः न्यायहित में वादीगण को एक अवसर प्रदान करते हुए रिकॉल आवेदन को 500/– रूपये खर्चा के साथ स्वीकृत किया जाता है। वादीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे खर्च की राशि प्रतिवादीगण को प्रदान कर अगली तिथि 18.01.2022 को साक्ष्य प्रस्तुत करें।

सब जज

सोनपुर सारण।